

366

18

244

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3 (55)/नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक :

4 MAY 2011

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2011 को राज्य सरकार द्वारा नीति जारी कर दी गयी है। नीति के अन्तर्गत प्रीमियर संस्थानों को आवंटित की जाने वाली भूमि का आकार संस्था द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. व किये जाने वाले विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। प्रीमियर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डी.पी.आर. व विनिवेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | सदस्य |
| 4. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान | सदस्य |
| 5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (स्वायत्त शासन/नगर निगम/नगर पालिका से सम्बन्धित प्रकरणों के लिए) | सदस्य |
| 6. उप नगर नियोजक, नविवि | सदस्य |
| 7. उप विधि परामर्शी, नविवि | सदस्य |
| 8. सम्बन्धित उप सचिव, नविवि | सदस्य सचिव |

सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर नियोजन से सम्बन्धित अधिकारी, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर नियोजन से सम्बन्धित अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास एवं नगर नियोजन से सम्बन्धित अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा एवं बीकानेर व सम्बन्धित अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मण्डल एवं सम्बन्धित अधिकारी, इन संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण समिति में विचारार्थ प्रस्तुत होने पर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी तथा समिति द्वारा अपनी अनुशांवा मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विभाग की मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(गुलदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर
9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर
13. निजी सहायक, उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नविवि, राजस्थान
14. उप नगर नियोजक/उप विधि परामर्शी, नविवि, राजस्थान, जयपुर

05/05/2011

उप शासन सचिव-तृतीय